20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(109)

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन – 3031/2018/भोपाल/भू.रा. /2018 जिला–भोपाल

1– रतनसिंह पुत्र स्व. हजारीलाल
2– लखनलाल पुत्र स्व. हजारीलाल
निवासीगण – ग्राम बावडिया कलॉ भोपाल (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1 श्रीमती निशा शर्मा पत्नी प्रवीण शर्मा
निवासी – एच–471 अरविन्द बिहार भोपाल म.प्र.
2 गनपत पुत्र श्री स्व हजारीलाल
3 विजय सिंह पुत्र श्री स्व हजारीलाल
निवासीगण – ग्राम बावडिया कलॉ भोपाल (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि 16/5/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14/6/18 नियत।
16.5.18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा. /2017/3969 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पुनर्वालोकन 3031/2018/भोपाल/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14—8—2018	आवेदकपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया । यह पुनर्वालोकन इस न्यायालय के निगरानी प्र0क्र0 पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2017/3969 में पारित आदेश दिनांक 5-4-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनर्वालोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :- 1-किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2-मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3-कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी हो और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है । अतः यह पुनर्वालोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	